

काउन्सिलर  
श्री डास

17.6.14

पुर्नविलोकन याचिका क्र.

प्रस्तुती दिनांक - 28-5-14

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

दिनांक 2036-PBR/14

अनूप पिता श्री विरेन्द्रसिंह हार्डिया

निवासी - हार्डिया कम्पाउण्ड, इन्दौर

— आवेदक

विरुद्ध

श्री महेन्द्र सिंह गुजर  
प्राथमिक/अभिभाषक द्वारा दिनांक 29/5/14  
को प्रस्तुत

333/29-5-2014

अधीक्षक

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा  
कलेक्टर महोदय, इन्दौर
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा  
तहसीलदार, इन्दौर
3. रमेश सिंह पिता गुनधारीसिंह
4. फूल सिंह पिता गुनधारीसिंह  
दोनो निवासी - ग्राम मुण्डलादोसदार,  
तहसील व जिला इन्दौर

— अनावेदक

पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. आर-4131-  
पीबीआर/2013 में पारित आदेश दि. 27.03.2013 के  
पुर्नविलोकन हेतु सदर पुर्नविलोकन याचिका आवेदक की ओर  
से निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2036-पीबीआर/14

जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 में मात्र अपर आयुक्त के आदेश की वैधानिकता पर विचार किया गया था, जबकि निगरानी मूलतः कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, इसलिए रिव्यु ग्राह्य की जाती है । इस न्यायालय का आदेश दिनांक 27-3-2014 निरस्त किया जाता है । मूल निगरानी प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह रिव्यु प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>